

फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट 2023

FORMATIVE ASSESSMENT TEST 2023



सूचना बुलेटिन/Information Bulletin

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
मेडिकल एंक्लेव, अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029
NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
Medical Enclave, Ansari Nagar, New Delhi- 110029



महत्वपूर्ण तिथियाँ/IMPORTANT DATES

प्रक्रियाएं/Processes	समयसीमा/Timelines
एनबीईएमएस वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना अपलोड करना/Uploading of Public Notice on NBEMS website	29 अप्रैल, 2024 29 April, 2024
एफएटी हेतु प्रशिक्षुओं के पंजीकरण की शुरुआत/Registration of Trainees for FAT to start on	1 मई, 2024 1 st May, 2024
पंजीकरण की अंतिम तिथि/Last date of registration	15 मई, 2024 15 th May, 2024
प्रवेश पत्र जारी करना/Release of Admit Cards	1 जून 2024 तक By 1 st June 2024

थ्योरी परीक्षा तिथि THEORY EXAMINATION DATE

पेपर/Paper	तिथि/Date	परीक्षा समय/Exam Time
I	09-06-2024 (रविवार)	9:00 AM to 12:00 PM
II	09-06-2024 (Sunday)	2:30 PM to 5:30 PM

कृपया ध्यान दें/Kindly Note:

- एनबीईएमएस द्वारा थ्योरी परीक्षा हेतु टेस्ट केंद्र केवल प्रशिक्षण संस्थान के निकटतम एफएटी केंद्र में आवंटित किया जाएगा।/The Test Centre for the Theory Exam shall be allotted by NBEMS only at a FAT Centre nearest to the Training Institution.
- एफएटी से किसी भी तरह की छूट के विषय में एनबीईएमएस को प्रत्यायित संस्थान/अस्पताल द्वारा सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों सहित एफएटी के संचालन से पूर्व सूचित किया जाना होगा। एफएटी से छूट मामले को एनबीईएमएस द्वारा मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।/Any exemption from FAT shall have to be informed by the accredited institute/hospital to NBEMS prior to be conduct of FAT with all relevant supporting documents. The exemption from FAT shall be decided by NBEMS on merit of the case.

अनुक्रमणिका/INDEX

क्र० सं० S.NO.	विषयवस्तु CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE NUMBER
I.	परिचय/Introduction	4
II.	उम्मीदवारों एवं एनबीईएमएस प्रत्यायित संस्थानों हेतु सूचना/Information for Candidates & NBEMS Accredited Institutions	5-9
III.	शुल्क संरचना/Fee Structure	10-11
IV.	एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं हेतु परीक्षा/Examination for NBEMS Trainees	12-15
V.	फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट हेतु पात्रता/Eligibility for Formative Assessment Test	16-17
VI.	परीक्षा एवं परिणाम की तिथि/Date of Examination & Result	18-20
VII.	एफएटी हेतु पंजीकरण फॉर्म भरने के अनुदेश / Instructions to Fill Registration Form for FAT	21-28
VIII.	अनुचित साधन/Unfair Means	29-33
IX.	संचार प्रोटोकॉल/Communication Protocol	34-35
	अनुलग्नक I: स्पेशलिटी की सूची जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा/Annexure I: List of Specialties in which Formative Assessment Test shall be conducted	36-38

I. परिचय

Introduction

1. आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में अखिल भारतीय आधार पर आधुनिक चिकित्सा में पोस्टग्रेजुएट परीक्षाओं के उच्च और समान मानक स्थापित कर और क्षमता निर्माण के लिए मौजूदा आधिकारिक संरचना का उपयोग कर मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य की गयी थी।/The Government of India established the National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) in 1975 with the objective of improving the quality of the Medical Education by establishing high and uniform standards of postgraduate examinations in modern medicine on an all India basis and utilizing existing infrastructure for capacity building.
2. वर्तमान में एनबीईएमएस अनुमोदित स्पेशलिटी में पोस्टग्रेजुएट और पोस्टडॉक्टरल परीक्षाएँ आयोजित करता है जो क्रमशः डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी), डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DrNB) और फैलो ऑफ नेशनल बोर्ड (एफएनबी) की उपाधि प्रदान करती हैं।/NBEMS at present conducts postgraduate and postdoctoral examinations in approved specialties leading to the award of Diplomate of National Board (DNB), Doctorate of National Board (DrNB) Fellow of National Board (FNB) and NBEMS Diploma respectively.
3. एनबीईएमएस द्वारा आयोजित परीक्षाएं चिकित्सा विशिष्टताओं के ज्ञान और दक्षताओं की प्राप्ति के न्यूनतम स्तर का एक सामान्य मानक और आकलन तंत्र प्रदान करती हैं। इसके अलावा, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की सुविधा सामान्य आकलन तंत्र की उपलब्धता के साथ प्रदान की जाती है।/The Examinations conducted by NBEMS provide a common standard and mechanism of evaluation of minimum level of attainment of the knowledge and competencies of medical specialties. Moreover, intra country and international comparisons are facilitated with the availability of common evaluation mechanism.

II. उम्मीदवारों एवं एनबीईएमएस प्रत्यायित संस्थानों हेतु सूचना Information for Candidates & NBEMS Accredited Institutions

1. एनबीईएमएस उन डीएनबी/DrNB/एफएनबी/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं हेतु फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट (एफएटी) आयोजित करता है जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रशिक्षण के अधीन हैं:/NBEMS conducts Formative Assessment Test (FAT) for DNB/DrNB/ FNB/ Diploma trainees who are under training as per below given details:

पाठ्यक्रम Course	एनबीई द्वारा आयोजित एफएटी FAT conducted by NBE
ब्रॉड स्पेशलिटी पाठ्यक्रम Broad Specialty Courses	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में In 2 nd year of training
सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम Super Specialty Courses	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में In 2 nd year of training
डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम DNB Post Diploma Courses	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में In 1 st year of training
फेलोशिप पाठ्यक्रम Fellowship Courses	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में In 1 st year of training
सीधे 6 वर्षीय पाठ्यक्रम Direct 6 years Courses	प्रशिक्षण के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में In 2 nd & 4 th year of training
एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम NBEMS Diploma Courses	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में In 1 st year of training

2. मूल्यांकन योजना में तीन भाग निहित होते हैं जिन्हें प्रशिक्षुओं द्वारा अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। योजना में निम्नलिखित शामिल हैं/The assessment scheme consists of Three Parts which has to be essentially completed by the trainees. The scheme includes: -

भाग-I PART – I	थ्योरी परीक्षा का आयोजन/Conduct of Theory Examination	उम्मीदवार को थ्योरी परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा और यह एक दिन के लिए आयोजित की जाती है।/Candidate has to appear for Theory Exam and is held for One day.
भाग-II PART – II	कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट/Work Place Based Clinical Assessment	थ्योरी परीक्षा के पश्चात, उम्मीदवार को क्लिनिकल असेसमेंट हेतु उपस्थित होना होगा।/After Theory Examination, Candidate has to appear for Clinical Assessment.
भाग-III PART – III	थ्योरी परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस काउंसलिंग सत्र/Performance Counselling Session On The Theory Performance	उम्मीदवार को अपनी थ्योरी परीक्षा मूल्यांकन कार्यशाला हेतु उपस्थित होना होगा।/Candidate has to appear for his/her Theory Exam Assessment Workshop.

3. इसमें विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा छात्रों की उपलब्धि में सुधार हेतु शिक्षकों/संकाय द्वारा छात्र के अधिगम, समझ और शैक्षणिक प्रगति का आकलन किया जाता है।/It includes various formal and informal assessment procedures by which evaluation of student's learning, comprehension, and academic progress is done by the teachers/ faculty to improve student attainment.
4. एफएटी प्रभावी शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का लक्ष्य सूचना एकत्र करना है जिसका उपयोग छात्र के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। /FAT is integral part of the effective teaching. The goal of Formative Assessment is to collect information which can be used to improve the student learning process.
5. आकलन की प्रकृति (जिसका अनुसरण किया जाना है) केवल फॉर्मेटिव मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षण और अधिगम पर प्रतिपुष्टी (फीडबैक) देना तथा प्रभावी शिक्षण का एक अभिन्न अंग बनना होगा।/The nature of evaluation to be followed should be on Formative Norms Only as it shall aim to give feedback on teaching and learning and become an integral part of the effective teaching.
6. अंतिम लक्ष्य सूचना एकत्रित करना होना चाहिए जिसका उपयोग छात्र के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अभ्यास का प्रयोजन एनबीईएमएस प्रत्यायित अस्पतालों/संस्थानों को अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता करना है। इससे इन प्रत्यायित अस्पतालों/संस्थानों में प्रदान की जा रही सेवाओं का और मूल्यवर्धन होगा।/The end goal should be to collect information which can be used to improve the student learning process. The purpose of the exercise is to assist the NBEMS accredited hospitals/ institutions to develop in to a center of academic excellence. This would further add value to the services being rendered in these accredited hospitals/institutions.
7. यह अनिवार्य रूप से आशय में सकारात्मक, अधिगम को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित है; इसलिए यह शिक्षण का हिस्सा है। इस अभ्यास में वैधता और उपयोगिता सर्वोपरि है तथा विश्वसनीयता हेतु चिंताओं पर वरीयता होनी चाहिए।/It is essentially positive in intent, directed towards promoting learning; it is therefore part of teaching. Validity and usefulness are paramount in this exercise and should take precedence over concerns for reliability.
8. **फैकल्टी के लिए लाभ:** वे यह निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं कि छात्र पहले से क्या जानते हैं और किस हद तक जानते हैं। वे तय कर सकते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन से मामूली आशोधन या बड़े बदलाव किए जाएं ताकि सभी प्रशिक्षु आगामी आकलन में सफल हो सकें। वे शिक्षार्थियों के समूहों या व्यक्तिगत छात्रों हेतु उपयुक्त पाठ और गतिविधियां सृजित कर सकते हैं तथा छात्रों को उनकी वर्तमान प्रगति के बारे में सूचित और उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं।/Benefits for the faculty: They can be able to determine what the students already know and to what extent. They can decide what minor modifications or major changes in training programme are to be introduced so that all trainees can succeed in upcoming assessments. They can create appropriate lessons and activities for groups of learners or individual students and also inform students about their current progress and guide them.

9. छात्रों के लिए लाभ: उन्हें अधिगम और अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। वे आत्म-आकलन, आत्म-मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण जैसे मूल्यवान आजीवन कौशल सीख सकते हैं तथा आत्म-मूल्यांकन में अधिक निपुण हो सकते हैं।/ **Benefits for students:** They can be motivated to learn and take responsibility for their own learning. They can learn valuable lifelong skills such as self-evaluation, self-assessment, and goal setting and become more adept at self-assessment.
10. एनबीईएमएस के मानदंडों के अनुसार, फाइनल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्यता हेतु फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट की न्यूनतम आवश्यक संख्या में उपस्थिति अनिवार्य है।/As per NBEMS norms, appearance in minimum required numbers of Formative Assessment Test is mandatory towards eligibility for appearing in Final Examinations.
11. एनबीईएमएस में डीएनबी/DrNB/एफएनबी/एनबीईएमएस-डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के रूप में नामांकित एवं सूचना बुलेटिन में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला उम्मीदवार एफएटी थ्योरी परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है।/A candidate enrolled with NBEMS as a DNB/DrNB/FNB/NBEMS-Diploma trainees & fulfilling eligibility criteria as stated in the Information Bulletin may appear for the FAT Theory Examination.
12. एनबीईएमएस प्रत्यायित संस्थानों को परीक्षा हेतु अपने प्रशिक्षुओं को पंजीकृत करने से पूर्व पात्रता मानदंड के लिए इस बुलेटिन को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। पात्रता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर तभी विचार किया जाएगा यदि मांगी गई जानकारी सूचना बुलेटिन या एनबीईएमएस की वेबसाइट www.natboard.edu.in में नहीं दी गई है। पात्रता और परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में किसी भी प्रतिनिधि के किसी भी प्रश्न पर टेलीफोन के माध्यम से वार्ता नहीं की जाएगी।/NBEMS Accredited Institutions should go through this bulletin carefully for eligibility criteria before registering their Trainees for the examination. Queries pertaining to eligibility and other issues will only be entertained if the information requested is not given in the bulletin of information or NBEMS website www.natboard.edu.in No Queries of the any representative will be entertained on telephone with regard to the eligibility and disclosure of the results.
13. जिन स्पेशलिटी में एफएटी आयोजित किया जाएगा, उनकी सूची अनुलग्नक-1 में देखी जा सकती है।/The list of specialties in which FAT will be conducted can be seen at Annexure I.
14. संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के दौरान दर्ज की गई सभी जानकारी सही और तथ्यात्मक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संस्थानों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सही माना जाएगा।/The institute should ensure that all the information entered during the online submission of application form is correct and factual. Information provided by the institutes in the online application form shall be treated as correct.
15. एनबीईएमएस किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय संस्थानों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को स्वयं संपादित/आशोधित/परिवर्तित नहीं करता है। परीक्षा के आयोजन और/या परिणाम की घोषणा के पश्चात किसी भी जानकारी में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।/NBEMS itself does not edit/modify/alter any information entered by the institutes at the time of online submission of application

form under any circumstances. There is no provision of change in any information after conduct of examination and/or declaration of result. Such requests shall not be entertained.

16. एफएटी के लिए आवेदन केवल आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.natboard.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की कोई अन्य पद्धति नहीं है। किसी अन्य मोड के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।/Application for FAT can only be submitted online through National Board of Examination in Medical Sciences website www.natboard.edu.in. There is no other methodology for application submission. Application submitted through any other mode shall be summarily rejected. There is no requirement to submit the hard copy print out of the application form.
17. संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई अनिवार्य कॉलम रिक्त न छोड़ा जाए। आवेदन पत्र की अस्वीकृति की स्थिति में, पुनर्विचार हेतु किसी भी कोई पत्राचार/अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।/Institutes are advised to ensure that no mandatory column in the online application form is left blank. In the event of rejection of the application form, no correspondence/request for re-consideration will be entertained.
18. एनबीईएमएस किसी भी प्रशिक्षु, जो एफएटी थ्योरी परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य नहीं है, को अनजाने में दी गई अनुमति, यदि कोई हो, को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही उसे प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक जारी कर दिया गया हो या एनबीईएमएस वेबसाइट पर नाम/ अनुक्रमांक प्रदर्शित कर दिया गया हो।/NBEMS reserves the right to withdraw permission, if any, granted inadvertently to any trainee who is not eligible to appear in the FAT Theory Examination even though the admit card/roll number has been issued or name/roll number is displayed on NBEMS website.
19. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर किसी भी परिस्थिति में शुल्क न तो भविष्य की किसी परीक्षा हेतु आगे बढ़ाया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा।/Fees shall neither be carried forward to a future exam nor refunded under any circumstances on successful submission of application.
20. प्रशिक्षु की पात्रता विशुद्ध रूप से अनंतिम है एवं आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन है।/Trainee's eligibility is purely provisional & is subjected to the fulfilment of eligibility criteria as prescribed by National Board of Examinations in Medical Sciences.
21. सूचना-बुलेटिन में अनुदेश एनबीईएमएस द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के आधार पर परिवर्तन के लिए अधीन हैं।/Instructions in the information-bulletin are liable to change based on decisions taken by the NBEMS from time to time.
22. एनबीईएमएस इस सूचना बुलेटिन में निहित किसी भी या कुछ अनुदेशों/दिशानिर्देशों को परिवर्तित करने, संशोधित करने, आशोधित करने या लागू करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।/NBEMS reserves

its absolute right to alter, amend, modify or apply any or some of the instructions/guidelines contained in this information bulletin.

23. मौजूदा कार्यक्रम, पैटर्न, नीति और दिशानिर्देश केवल तत्काल संदर्भ हेतु हैं लेकिन किसी भी तरह से, उन्हें इस तथ्य के प्रतिनिधि या अभिस्वीकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि एनबीईएमएस भविष्य में इसका पालन करने के लिए बाध्य है।/The existing schedule, pattern, policy and guidelines are for ready reference only but in no way, they are or are ought to be treated as representative or acknowledgment of fact that NBEMS is bound to follow the same in future.
24. पात्रता/परीक्षाओं के आयोजन/उम्मीदवारों के पंजीकरण/इसमें निहित जानकारी के निर्धारण के संबंध में किसी भी अनुदेश/शर्त/नियम/मानदंड की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।/In case of any ambiguity in interpretation of any of the instructions/terms/rules/criteria regarding the determination of eligibility/conduct of examinations/registration of candidates/information contained herein, the interpretation of the National Board of Examinations in Medical Sciences shall be final and binding in nature.
25. एफएटी से किसी भी तरह की छूट के विषय में एनबीईएमएस को प्रत्यायित संस्थान/अस्पताल द्वारा सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों सहित एफएटी के संचालन से पूर्व सूचित किया जाएगा। एनबीईएमएस द्वारा एफएटी से छूट मामले की मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।/Any exemption from FAT shall have to be informed by the accredited institute/hospital to NBEMS prior to the conduct of FAT with all relevant supporting documents. The exemption from FAT shall be decided by the NBEMS on merit of the case.
26. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षुओं और संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के अभ्यावेदन हेतु प्रचार न करें।/Request shall not be entertained for change in center of examination under any circumstances. Trainees and institutes are advised not to canvass for such representation.
27. संस्थानों द्वारा मुद्रित आवेदन पत्र की प्रति भविष्य में संदर्भ हेतु रखी जा सकती है।/Copy of printed application form may be retained by the institutes for future reference.
28. एफएटी थ्योरी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 1 जून 2024 से एनबीईएमएस वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे।/Admit Cards for FAT Theory Examination shall be available to downloaded at NBEMS website from 1st June 2024 onwards.
29. अदालती मामलों/विवादों का क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली में होगा।/The jurisdiction for court cases/disputes shall be at New Delhi only.

III. शुल्क संरचना Fee Structure

1. परीक्षा शुल्क: फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट का शुल्क निम्नानुसार है:/Examination Fee: The Fees for Formative Assessment Test is as follows:

परीक्षा शुल्क Examination Fees	₹ 6000/- प्रति उम्मीदवार/Rs.6000/- per candidate <i>(एफएटी हेतु केवल एनबीईएमएस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भुगतान किया जाएगा//to be paid by Training Institutions only through NBEMS Online Portal for FAT)</i>
---	---

***भुगतान गेटवे शुल्क रहित, जैसा कि लागू हो सकता है//Excluding payment gateway charges, as may be applicable.**

2. एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र वापस नहीं लिए जा सकते। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात आवेदन शुल्क की वापसी, समायोजन या आगे बढ़ाने के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।/Applications forms once submitted cannot be withdrawn. Any claim for refund, adjustment or carrying forward of application fee will not be entertained after successful submission of application.
3. **भुगतान कैसे करें:** निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नलिखित में से किसी भी मोड का उपयोग करके प्रदान किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए/**How to pay:** The prescribed exam fee should be remitted through payment gateway provided using any of the following modes:
- क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/Credit Card/ Debit Card
 - इंटरनेट बैंकिंग/Internet Banking
 - भीम यूपीआई/BHIM UPI
 - एनईएफटी (केवल गैर-एसबीआई खाता धारकों के लिए)/NEFT (For Non SBI Account Holders only)
 - एसबीआई शाखा भुगतान (केवल एसबीआई खाता धारकों के लिए)/SBI Branch Payment (For SBI Account Holders only)

ध्यान दें: किसी अन्य मोड/एनबीईएमएस के किसी अन्य खाते (निर्दिष्ट खाते के अलावा) के माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।/Note: Payment made through any other mode/ to any other account of NBEMS (other than the specified account) shall not be accepted.

4. फॉर्मेटिव असेसमेंट हेतु शुल्क केवल एनबीईएमएस प्रत्यापित संस्थान द्वारा ही जमा किया जाएगा तथा प्रशिक्षुओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह वार्षिक शैक्षणिक शुल्क के एक भाग के रूप में पूर्व में ही उनके द्वारा अपने संस्थान में जमा किया जा चुका है।/The fees for Formative

Assessment has to be deposited by NBEMS accredited institution only and is not to be charged from the Trainees as it has already been submitted by them as a part of Annual Academic Fees to their institution.

5. किसी कारणवश अनुपस्थित अथवा अपात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों का परीक्षा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान करने से पूर्व नियम की स्थिति को ध्यान से पढ़ें तथा पात्रता मानदंड को पूरा करने हेतु नियमों और शर्तों को पूरा करें।/Examination fees in respect of candidates who are absent or declared ineligible due to any reason will be forfeited. Institutions are advised to read the rule position carefully and satisfy the terms and conditions for fulfilment of eligibility criteria before proceeding for payment of fees.

IV. एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं हेतु परीक्षा Examination for NBEMS Trainees

1. मूल्यांकन योजना में तीन भाग निहित होते हैं जिन्हें प्रशिक्षुओं द्वारा अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। योजना में निम्नलिखित शामिल हैं/ assessment scheme consists of Three Parts which has to be essentially completed by the trainees. The scheme includes: -

भाग-I PART – I	थ्योरी परीक्षा का आयोजन/Conduct of Theory Examination	उम्मीदवार को थ्योरी परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा और यह एक दिन आयोजित की जाती है।/Candidate has to appear for Theory Exam and is held for One day.
भाग-II PART – II	कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट/Work Place Based Clinical Assessment	थ्योरी परीक्षा के पश्चात, उम्मीदवार को क्लिनिकल असेसमेंट हेतु उपस्थित होना होगा।/After Theory Examination, Candidate has to appear for Clinical Assessment.
भाग-III PART – III	थ्योरी परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस काउंसलिंग सत्र/Performance Counselling Session On The Theory Performance	उम्मीदवार को अपनी थ्योरी परीक्षा मूल्यांकन कार्यशाला हेतु उपस्थित होना होगा।/Candidate has to appear for his/her Theory Exam Assessment Workshop.

2. एनबीईएमएस के मानदंडों के अनुसार, फाइनल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्यता हेतु फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट की न्यूनतम आवश्यक संख्या में उपस्थिति अनिवार्य है।/As per NBEMS norms, appearance in minimum required numbers of Formative Assessment Tests is mandatory towards eligibility for appearing in Final Examinations.
3. योग्य उम्मीदवार को थ्योरी परीक्षा और कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट दोनों में उपस्थित होने की अनुमति है।/An eligible candidate is permitted to appear in both Theory Examination and Work Place Based Clinical Assessment.
4. जो थ्योरी परीक्षा में उपस्थित होने में विफल होंगे उन्हें कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।/Those who fail to appear in the Theory Examination shall not be allowed to appear in the Work Place Based Clinical Assessment.
5. थ्योरी परीक्षा में उपस्थित होने के पश्चात कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट से अनुपस्थिति को फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट में उपस्थिति के रूप में नहीं गिना जाएगा।/Absenteeism from Work Place Based Clinical Assessment after appearing in the Theory Examination shall not be counted as an appearance in Formative Assessment Test.

6. एफएटी से किसी भी तरह की छूट के विषय में एनबीईएमएस को प्रत्यायित संस्थान/अस्पताल द्वारा सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों सहित एफएटी के संचालन से पूर्व सूचित किया जाएगा। एनबीईएमएस द्वारा एफएटी से छूट मामले की मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।/Any exemption from FATs shall have to be informed by the accredited institute/hospital to NBEMS prior to the conduct of FAT with all relevant supporting documents. The exemption from FAT shall be decided by the NBEMS on merit of the case.
7. जिन स्पेशलिटी में फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा, उनकी सूची अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।/The list of Specialties in which Formative Assessment Test shall be held are mentioned at Annexure-I.

8. भाग I:- थ्योरी परीक्षा का आयोजन/Part I: - Conduction of Theory Examination

- एफएटी की थ्योरी परीक्षा वार्षिक आधार पर आयोजित की जाती है।/The Theory Exam of FAT is conducted on an annual basis
- परीक्षा का तरीका: विवरणात्मक (कागज एवं कलम)/Mode of Examination: Descriptive (Paper & Pen)
- सत्रों को संख्या: दो सत्र/Number of sessions: Two sessions
- एफएटी के लिए केंद्र (थ्योरी): प्रशिक्षण संस्थान के निकटतम उपलब्ध एफएटी केंद्र/Centres for FAT (Theory): FAT Centre nearest available to the Training Institution
- एफएटी के संचालन हेतु फॉर्म एवं शुल्क: प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भरा एवं भुगतान किया जाएगा/Form & Fees for conduct of FAT: To be filled & paid by Training Institutions

9. भाग II:- कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट/Part II: - Work Place Based Clinical Assessment

- कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट कुछ मापदंडों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगा, जैसे/The work place based clinical assessment shall assess the candidates on parameters such as:
 - केस चर्चा/ Case Discussion
 - केस प्रस्तुतिकरण/ Case Presentation
 - केस प्रबंधन/ Case Management
 - जांच तकनीक/ Investigation Techniques
 - जांच विवेचन/ Investigation Interpretations
 - औज़ार संचालन / Instrument handling
 - मौखिक परीक्षा / Viva Voce
 - वार्ड राउंड/ Ward rounds
 - लॉग बुक का मूल्यांकन/Assessment of Log Book
 - थीसिस कार्य का मूल्यांकन/Assessment of Thesis Work
- कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट की योजना/Scheme of work place based clinical assessment

गतिविधि/ACTIVITY	विवरण/DESCRIPTION
<p>क्लिनिकल परीक्षा/Clinical Examination</p> <p>(केस तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण/Case Preparation & Presentation)</p>	<p>प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 2 केस (तैयारी के 30 मिनट और प्रस्तुतीकरण के लिए 30 मिनट)/ Maximum 2 cases for each candidate (30 minutes of preparation & 30 minutes for presentation)</p> <p>परीक्षक केस तैयार करने के लिए दो उम्मीदवारों को एक ही केस आवंटित कर सकता है। हालांकि, उम्मीदवार को परीक्षकों के सामने केस व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा।/The examiner may allot the same case to two candidates for case preparation. However, the candidate shall have to present the case individually before the examiners.</p> <p>केस प्रस्तुतीकरण के लिए मरीजों की अनुपलब्धता के मामले में, पुतले या कृत्रिम या एक स्वस्थ स्वयंसेवक का उपयोग क्लिनिकल परीक्षा कौशल के प्रदर्शन के लिए और बनावटी केस हेतु किया जा सकता है।/In case of unavailability of patients for case presentation, Manikin or dummy or a healthy volunteer may be used for demonstration of clinical examination skills and for simulated cases.</p>
<p>मौखिक परीक्षा /Viva- Voce</p>	<p>सभी परीक्षकों द्वारा एक साथ एक समूह में आयोजित किया जाएगा/ Shall be conducted by all the Examiners together in a group</p>
<p>जांच तकनीक/जांच विवेचन/इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग/वार्ड राउंड/क्लिनिकल जांच/स्पॉट/Investigation Techniques/ Investigation Interpretations/ Instrument handling /Ward Round/ Clinical Investigations/ Spots</p>	<p>जहां भी आवश्यक हो।/Wherever required.</p>
<p>थीसिस कार्य का मूल्यांकन/Assessment of Thesis Work</p> <p>(जहां भी लागू हो/wherever applicable)</p>	<p>उम्मीदवार के थीसिस कार्य का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाएगा/ The Thesis work of the candidate shall be evaluated by the examiner on the following parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • थीसिस प्रोटोकॉल सबमिशन/Thesis Protocol Submission • थीसिस कार्य का मूल्यांकन/Assessment of Thesis Work <ul style="list-style-type: none"> ✓ शोध प्रयोजन/Research Purpose ✓ साहित्य की समीक्षा/Review of Literature

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ डेटा संग्रह एवं विश्लेषण/Data collection and analysis ✓ विश्लेषण एवं जांच निष्कर्षों का विवेचन/Analysis and interpretation of Findings ✓ निष्कर्ष और अनुशंसाएँ/Conclusion and Recommendations ✓ संदर्भ/Referencing ✓ थीसिस पूर्णता हेतु तत्परता/Readiness for Thesis Completion • थीसिस वाइवा/Thesis Viva
--	--

10. भाग III:- थ्योरी परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस काउंसलिंग सत्र/Part III: - Performance Counselling Session On the Theory Performance

- प्रत्यायित अस्पताल को एक कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा और विचार किया जा सके।/The Accredited Hospital is required to organize a Workshop so that the performance of each Trainee is discussed and deliberated at length.
- इस कार्यशाला की अवधि के दौरान, जिन प्रशिक्षुओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वे अपने अधिगम, प्रशिक्षण और उत्तर देने के कौशल को अन्य प्रशिक्षुओं के साथ साझा करेंगे।/During the course of this Workshop, Trainees who have performed well shall share their Learning, Training and Answering skills with other Trainees.
- विभागाध्यक्ष और संकाय सदस्य भी अपने ज्ञान को, और साथ ही प्रत्येक उत्तर में देखे जाने वाले मुख्य शब्द/कौशल निर्धारकों को साझा करेंगे।/Head of Departments and Faculty Members shall also share their knowledge, and also the key words / skills Assessors look for, in each answer.
- ऐसी कार्यशालाएं प्रशिक्षुओं को प्रेरित करेंगी, अस्पताल द्वारा दिए जा रहे डीएनबी प्रशिक्षण में वृद्धि करेंगी, प्रशिक्षुओं के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करेंगी, ताकि वे प्रभावी तरीके से डीएनबी थ्योरी परीक्षा की योजना बनाने एवं प्रयास करने में सक्षम हों।/Such Workshops shall motivate Trainees, augment the DNB training being given by the Hospital, help in enhancing overall performance of the Trainees, so that they are able to plan & attempt the DNB Theory Examination in an effective manner.
- अस्पताल एफएटी में उपस्थित हुए प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन की गहन समीक्षा भी करेंगे। इस तरह की समीक्षा निश्चित रूप से प्रत्येक प्रशिक्षु की कमजोरियों/कमियों और सकारात्मक पहलुओं की पहचान करने में मदद करेगी।/The hospitals shall also carry out a thorough Review of the performance of each Trainee who appeared in the FAT. Such a review will certainly help in identifying the weaknesses / shortcomings and positive aspects of each Trainee.

V. फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट हेतु पात्रता Eligibility for Formative Assessment Test

1. फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट 2023 के लिए निम्नलिखित प्रवेश सत्र पात्र हैं/The following admission sessions are eligible to appear for Formative Assessment Test 2023:

पाठ्यक्रम/Course	प्रशिक्षण का वर्ष (प्रवेश वर्ष) Year of Training (Admission Year)
पोस्ट एमबीबीएस 3 वर्षीय डीएनबी पाठ्यक्रम Post MBBS 3 year DNB Courses	द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु (2022) 2 nd year trainees (2022)
DrNB सुपर स्पेशलिटी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम DrNB Super Specialty 3 year Courses	द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु (2022) 2 nd year trainees (2022)
डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम DNB Post Diploma Courses	प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु (2023) 1 st year trainees (2023)
सीधे 6 वर्षीय सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम Direct 6 years Super Speciality Courses	द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष के प्रशिक्षु (2022, 2020) 2 nd & 4 th year trainees (2022, 2020)
एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम NBEMS Diploma Courses	प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु (2023) 1 st year trainees (2023)

2. उम्मीदवार जो आगामी डीएनबी/DrNB/एफएनबी/एनबीईएमएस डिप्लोमा फाइनल एग्जिट परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले हैं और एफएटी/आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें भी एफएटी 2023 के लिए उनके प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है।/Candidates who are scheduled to appear in upcoming DNB/DrNB/FNB/ NBEMS Diploma Final Exit Examinations and do not fulfil the criteria on minimum appearance in FAT/ Internal Appraisals may also be registered by their training institute for FAT 2023.
3. एनबीईएमएस सार्वजनिक सूचना दिनांक 26-11-2019 के अनुसार, नीचे दी गई निर्धारित योजना के अनुसार डीएनबी/ DrNB /एफएनबी/ एनबीईएमएस डिप्लोमा फाइनल परीक्षाओं में उपस्थित होने की पात्रता हेतु फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट/आंतरिक मूल्यांकन की न्यूनतम आवश्यक संख्या में उपस्थिति अनिवार्य है।/In terms of NBEMS Public Notice dated 26-11-2019, appearance in minimum required numbers of Formative Assessment Tests/ Internal Appraisals is mandatory towards eligibility for appearing in DNB/DrNB/ FNB/ NBEMS Diploma Final Examinations as per the below prescribed scheme:

पाठ्यक्रम Course	आवश्यक फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट/आंतरिक मूल्यांकन की संख्या Number of FATs / Internal Appraisal mandatory
डीएनबी ब्रॉड स्पेशलिटी पाठ्यक्रम DNB Broad Speciality Courses	दो Two
DrNB सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम DrNB Super Speciality Courses	दो Two
डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम	एक

DNB Post Diploma Courses	One
फेलोशिप पाठ्यक्रम Fellowship Courses	एक One
सीधे 6 वर्षीय पाठ्यक्रम Direct 6 years Courses	तीन Three
एनबीईएमएस डिप्लोमा NBEMS Diploma	एक One

4. एनबीईएमएस प्रशिक्षु जो किसी भी कारण से दिनांक 18.06.2023 को आयोजित एफएटी 2022 में उपस्थित नहीं हुए हैं, वे दिनांक 9 जून 2024 को आयोजित होने वाली एफएटी में भाग लेने हेतु अपने प्रशिक्षण संस्थान से स्वयं को पंजीकृत करने का अनुरोध कर सकते हैं।/NBEMS trainees who have not appeared in FAT 2022 conducted on 18.06.2023 due to any reasons whatsoever, can request to their training institute to register themselves for participation in FAT to be conducted on 9th June 2024.
5. एफएटी में अनिवार्य भागीदारी उन उम्मीदवारों पर लागू होगी, जो जुलाई 2019 के प्रवेश सत्र में या उसके बाद शामिल हुए हैं।/The compulsory participations in FATs shall apply to the candidates, who join in or after July 2019 admission session.

VI. परीक्षा एवं परिणाम की तिथि Date of Examination & Result

1. थ्योरी परीक्षा/Theory Examination:

- a. एफएटी की थ्योरी परीक्षा नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी/The Theory Examination of FAT shall be held as per below given schedule:

पेपर/Paper	तिथि/Date	परीक्षा समय/Exam Time
I	09-06-2024 (रविवार)	9:00 AM to 12:00 PM
II	09-06-2024 (Sunday)	2:30 PM to 5:30 PM

- b. थ्योरी परीक्षा से किसी भी तरह की छूट के विषय में एनबीईएमएस को प्रत्यायित संस्थान/अस्पताल द्वारा सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों सहित परीक्षा के संचालन से पूर्व सूचित किया जाएगा। एनबीईएमएस द्वारा छूट मामले की मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।/Any exemption from the Theory Examination shall have to be informed by the accredited institute/hospital to NBEMS prior to the conduct of examination with all relevant supporting documents. The exemption shall be decided by the NBEMS on merit of the case.

2. कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल अससेमेंट/Work place Based Clinical Assessment:

- a. थ्योरी परीक्षा में उपस्थित हुए सभी प्रशिक्षुओं को कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल अससेमेंट की तिथि, समय और स्थान की सूचना उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।/The date, time and venue of Work Place Based Clinical Assessment shall be intimated to all trainees who have appeared in the Theory Examination through their registered email id.
- b. कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल अससेमेंट हेतु केंद्र प्रशिक्षु के प्रशिक्षण संस्थान के निकटतम केंद्र पर आवंटित किया जाएगा। एनबीईएमएस किसी भी केंद्र को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; उम्मीदवार यात्रा हेतु अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल अससेमेंट के केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में कोई अभ्यावेदन न दें अथवा प्रचार न करें।/The centre for Work Place Based Clinical Assessment shall be allotted at a centre which is nearest to his/her training Institute. NBEMS reserves its rights to allot any centre; the candidates shall make their own arrangement for travel. Change in centre of the Work Place Based Clinical Assessment is not permitted under any circumstances. Candidates are advised not to make any representations/not to canvass in this regard.
- c. कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल अससेमेंट से किसी भी तरह की छूट के विषय में एनबीईएमएस को प्रत्यायित संस्थान/अस्पताल द्वारा सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों सहित परीक्षा के

संचालन से पूर्व सूचित किया जाएगा। एनबीईएमएस द्वारा छूट मामले की मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।/Any exemption from the Work Place Based Clinical Assessment shall have to be informed by the accredited institute/hospital to NBEMS prior to the conduct of examination with all relevant supporting documents. The exemption shall be decided by the NBEMS on merit of the case.

3. थ्योरी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र/Admit card for Theory Examination:

- a. प्रशिक्षुओं के प्रवेश पत्र दिनांक 1 जून 2024 तक आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।/The admit card of the Trainees shall be uploaded on the online Portal for Formative Assessment at National Board of Examinations in Medical Sciences website by 1st June 2024.
- b. प्रवेश पत्र प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ही डाउनलोड किए जा सकते हैं।/The admit cards can be downloaded by the training institute of the Trainees only.
- c. प्रशिक्षण संस्थान को वेबसाइट से अपने प्रशिक्षु (प्रशिक्षुओं) के प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा, निर्धारित स्थान पर प्रशिक्षु (प्रशिक्षुओं) की फोटो चिपकानी होगी और उसे प्रमाणित करना होगा।/The training institute is required to take print out of the admit card(s) of their Trainee(s) from the website, paste the trainee(s) photograph at the designated place and attest the same.
- d. प्रशिक्षु (प्रशिक्षुओं) परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्नलिखित में से एक मूल और वैध/ नॉन-एक्सायर्ड आईडी प्रमाण के साथ उपस्थित होंगे।/The Trainee(S) shall appear at exam centre with one of the following original and valid/non-expired ID proof along with the admit card:
 - i. पैन कार्ड/PAN Card
 - ii. ड्राइविंग लाइसेंस Driving License
 - iii. वोटर आईडी/Voter ID
 - iv. पासपोर्ट/Passport
 - v. आधार कार्ड (फोटो सहित)/Aadhaar Card (with Photograph)

4. कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल अससेमेंट हेतु प्रवेश पत्र/Admit Card for Work Place Based Clinical Assessment:

- a. थ्योरी परीक्षा में उपस्थित हुए सभी प्रशिक्षुओं को प्रवेश पत्र की सूचना उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।/The admit card shall be intimate to all Trainees who have appeared in the Theory Examination through their registered email id.
- b. प्रशिक्षु को अपने प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा और निर्धारित स्थान पर अपनी फोटो चिपकानी होगी और इसे संस्थान/विभाग के प्रमुख से सत्यापित करना होगा।/Trainee is required to take print out of his/her admit card paste their photograph at the designated place and get it attested by the Head of Institute/Department.
- c. प्रशिक्षु (प्रशिक्षुओं) परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्नलिखित में से एक मूल और वैध/ नॉन-एक्सायर्ड आईडी प्रमाण के साथ उपस्थित होंगे।/The Trainee(S) shall appear at exam

centre with one of the following original and valid/non-expired ID proof along with the admit card:

- i. पैन कार्ड/PAN Card
- ii. ड्राइविंग लाइसेंस Driving License
- iii. वोटर आईडी/Voter ID
- iv. पासपोर्ट/Passport
- v. आधार कार्ड (फोटो सहित)/Aadhaar Card (with Photograph)

5. फॉर्मेटिव असेसमेंट का परिणाम/Result for Formative Assessment:

- a. फॉर्मेटिव असेसमेंट का परिणाम कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट की गतिविधि के पूर्ण होने के पश्चात घोषित किया जाएगा।/The result of Formative Assessment shall be declared after that completion of the activity of Work Place Based Clinical Assessment.
- b. थ्योरी परीक्षा और कार्यस्थल आधारित क्लिनिकल असेसमेंट दोनों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे न कि अलग-अलग।/The results of both Theory Examination and Work Place Based Clinical Assessment shall be declared together and not separately.
- c. डीएनबी प्रशिक्षुओं का परिणाम उनके संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के संस्थान प्रमुख को भेजा जाएगा।/The result of DNB Trainees shall be sent to the Head of Institute of their respective Training Institution.
- d. परिणाम प्रत्येक प्रशिक्षु को व्यक्तिगत रूप से उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।/The result shall also be sent to each Trainees individually on their registered email id.
- e. परिणाम घोषित होने के बाद थ्योरी परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण संस्थानों को भेजी जाएंगी।/Subsequent to the declaration of result, evaluated Answer sheets of the Theory Examination will be sent to the Training institutions of the respective Trainees.
- f. परिणाम और मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति पर, संस्थान प्रशिक्षुओं को उनके प्रदर्शन के विषय में मूल्यांकन करने तथा उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद करने हेतु प्रत्येक स्पेशलिटी में संगोष्ठी/समूह चर्चा जैसे परफॉर्मिस काउंसलिंग सत्र आयोजित करेंगे, ताकि वे प्रभावी तरीके से डीएनबी थ्योरी परीक्षा की योजना बनाने एवं प्रयास करने में सक्षम हों।/On receipt of the result and evaluated answer sheets, the institutions shall conduct Performance Counselling Sessions like Seminars/Group Discussions in each Specialty to appraise the trainees about their performance and help them to enhance their knowledge & skills, so that they are able to plan & attempt the DNB Theory Examination in an effective manner.

VII. एफएटी हेतु पंजीकरण फॉर्म भरने के निर्देश/Instructions to fill Registration Form for FAT

1. औपचारिक मूल्यांकन हेतु उपस्थित होने के लिए पंजीकरण केवल आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.natboard.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। किसी अन्य तरीके से जमा किया गया आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।/Registration to appear for Formative Assessment can only be submitted online through National Board of Examinations in Medical Sciences website www.natboard.edu.in. There is no other method for application submission. Application submitted through any other mode shall be summarily rejected.
2. आवेदन पत्र भरने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर (संस्करण 11) या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स (संस्करण 48 से 60) या गूगल क्रोम (संस्करण 50 से 66) का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। आवेदन भरने हेतु यह अनुशंसा की जाती है कि आप उचित लैन/इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें और आवेदन पत्र भरने से पहले ब्राउज़र कैश मैमोरी एवं हिस्ट्री को हटा दें।/It is recommended to use Internet Explorer (version 11) or Mozilla Firefox (version 48 to 60) or Google Chrome (version 50 to 66) to fill in the Application Form. For filling the application, it is recommended that you use proper LAN / Internet Connection and clear the browser cache and history prior filling up the application form.
3. एनबीई को आवेदन जमा करने के क्रम में, निम्नलिखित चरणों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।/Following steps shall be required to be completed in sequence for application submission to NBE:

a. एफएटी हेतु अस्पताल का पंजीकरण/Registration of Hospital for FAT:


- i. प्रत्यायित अस्पताल एफएटी हेतु निम्नलिखित वेबसाइट: <https://www.natboard.edu.in/fat/index> के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत करना होगा एवं “Registration of Trainees for FAT” पर क्लिक करना होगा उसके बाद अगली विंडो में “REGISTER” पर क्लिक करना होगा।/The Accredited hospital shall register themselves for FAT through the following website: <https://www.natboard.edu.in/fat/index> and click on “Registration of Trainees for FAT” and then on “REGISTER” in the next window.

The screenshot shows the website of the National Board of Examinations in Medical Sciences. The page is titled "FORMATIVE ASSESSMENT TEST- SPECIAL SESSION". It features a table with columns for "Date", "Notice Subject", "S.No.", "Activity", "Status", and "Documents". The table lists various activities and their corresponding dates and statuses. Below the table, there is a button labeled "Registration of Trainees for FAT".

Date	Notice Subject	S.No.	Activity	Status	Documents
05-01-2021	Registration of Hospital for Formative Assessment	07	Registration of Hospital for FAT	Completed	1. Application Form for FAT 2021
03-02-2021	Formative Assessment Test (FAT)	08	Registration of Trainees for FAT to start on	Registration until further notice	1. Guidelines for Internal Appraisal 2021
04-01-2021	Registration of Hospital for Formative Assessment Test (FAT) 2021	09	Last Date of Registration	Registration until further notice	2. Guidelines for Internal Appraisal 2020
04-07-2021	Registration of Hospital for Formative Assessment Test (FAT) 2021 to hold on 19th February, 2022	10	Admit Card for FAT (Theory)	Start to receive by sending applications by 2nd December 2021	
09-07-2021	Formative Assessment Test (FAT)	11	Work Plans Based Clinical Assessment	Start to undertake in January / February 2022	
18-02-2021	Conduct of Internal Appraisal of FAT for FAT Trainees for 2021				
12-02-2021	Conduct of Formative Assessment Test - 2020				
01-07-2021	Formative Assessment Test (FAT)				

- ii. अस्पताल को उपलब्ध ड्रॉपडाउन से अपने अस्पताल की स्थिति और नाम का चयन करना होगा एवं निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा:/The hospital shall select their Hospital state & Name from the available dropdown and enter the following details:


- अस्पताल कोड (एनबीईएमएस द्वारा एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) को मेल पर प्रदान किया गया)/Hospital Code (Provided by NBEMS on mail to the Single Point Of Contact (SPOC))
- चयनित अस्पताल विवरण के सफल सत्यापन के बाद पंजीकरण फॉर्म में एसपीओसी का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदर्शित किया जाएगा /SPOC name, Mobile number & email id in the registration form would be displayed after successful verification of selected hospital details.




- iii. ओटीपी सत्यापन के पश्चात् अस्पताल एफएटी पोर्टल में लॉग-इन करने एवं अपना आवेदन पत्र जमा करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड वाले एसएमएस और ईमेल पर अपने यूजर क्रेडेंशियल्स प्राप्त करेगा। यह यूजर आईडी केवल एफएटी आवेदन जमा करने के लिए लागू है।/After OTP validation the hospital shall receive their user credentials on SMS & email containing UserID & password to login into the FAT Portal and submit their application form. This UserID is applicable only for submission of FAT applications.

b. एफएटी हेतु आवेदन पत्र में लॉग-इन करें/Login into the Application Form for FAT:


- i. सफल पंजीकरण के पश्चात् प्रत्यापित अस्पताल निम्नलिखित वेबसाइट: <https://www.natboard.edu.in/fat/index> के माध्यम से एफएटी पोर्टल में लॉग-इन कर सकता है और **Registration of Trainees for FAT** पर क्लिक करें और तत्पश्चात् अगली **“LOGIN”** विन्डो पर क्लिक करें।/After successful registration the Accredited hospital can login into the FAT Portal through the following website: <https://www.natboard.edu.in/fat/index> and click on **Registration of Trainees for FAT** and then on in the next window.




- ii. लॉगिन पेज में अस्पताल एफएटी एप्लीकेशन पोर्टल में प्रवेश करने के लिए ईमेल और एसएमएस पर प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करेगा/In the Login page the hospital shall enter the UserID & password received on email & SMS to enter in the FAT Application portal




- iii. लॉगिन करने के बाद आप पंजीकरण के समय आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण देख पाएंगे/After login you shall be able to see the details entered by you at the time of registration.




- iv. विवरणों की जांच करने के पश्चात्, आपको शीर्ष पर दिए गए **“CANDIDATE DETAILS”** टैब पर क्लिक करना होगा, जिसमें आप एनबीईएमएस सार्वजनिक सूचना दिनांक 1 मई 2024 के अनुसार एफएटी के लिए पात्र प्रशिक्षुओं की सूची देख पाएंगे।/After checking the details, you shall be required to click on the **“CANDIDATE DETAILS”** tab provided at the top wherein you shall be able to see the list of Trainees eligible for FAT as per NBEMS Public notice dated 1st May 2024.



- v. प्रशिक्षुओं की सूची का सत्यापन करने के बाद, आपको शीर्ष पर दिए गए **“Payment”** टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपरी दाएं कोने में **“+”** प्रतीक पर क्लिक करें।/After verifying the list of trainees, you shall be required to click on the **“Payment”** tab provided at the top. After that click on the **“+”** symbol at the top right corner.



- vi. इस पृष्ठ पर आपको करना आवश्यक है: /On this page you are required to:
- प्रदान किए गए चेक बॉक्स पर टिक करके उम्मीदवारों की अंतिम सूची का चयन करना/Select the final list of candidates by ticking the check box provided
 - यदि आप एफएटी के लिए किसी प्रशिक्षु का चयन नहीं करना चाहते हैं तो चयन ना करने के कारण का उल्लेख करें।/In case you do not wish to select any trainees for FAT mention the reason against him/ her for non-selection.
 - उम्मीदवारों की सूची के नीचे दी गई घोषणा को देखें।/Go through the declaration given below the list of candidates.
 - "I Agree" पर क्लिक करें और फिर "Proceed to Payment" पर क्लिक करें।/Click on "I Agree" and then click on "Proceed to Payment".




- vii. इसके बाद आपको भुगतान गेटवे पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें आप निम्न में से किसी भी तरीके का उपयोग करके शुल्क जमा कर सकते हैं: /After this you shall be redirected to the Payment gateway page wherein you can submit the fees through using any of the following modes:
- क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/Credit Card/ Debit Card
 - इंटरनेट बैंकिंग/Internet Banking

- भीम यूपीआई/BHIM UPI
- एनईएफटी (केवल गैर एसबीआई खाता धारकों के लिए)/NEFT (For Non SBI Account Holders only)
- एसबीआई शाखा भुगतान (केवल एसबीआई खाता धारकों के लिए)/SBI Branch Payment (For SBI Account Holders only)


नोट: किसी अन्य मोड/एनबीईएमएस के किसी अन्य खाते (निर्दिष्ट खाते के अलावा) के माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।/Note: Payment made through any other mode/ to any other account of NBEMS (other than the specified account) shall not be accepted.

c. **शुल्क का भुगतान:** उम्मीदवारों के लिए शुल्क कई लेनदेन में भी जमा किया जा सकता है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि समाधान के मुद्दों से बचने के लिए केवल एक लेनदेन में शुल्क जमा किया जाए। निम्नलिखित में से किसी भी मोड का उपयोग करके प्रदान किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए: **Payment of Fees:** The fees for the candidates can be deposited in multiple transactions also. However, it is advisable that the fees is deposited in a single transaction only to avoid reconciliation issues. The prescribed exam fee should be remitted through payment gateway provided using any of the following modes:


i. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/Credit Card/ Debit Card



ii. इंटरनेट बैंकिंग/Internet Banking





iii. भीम यूपीआई/BHIM UPI





iv. एनईएफटी (केवल गैर एसबीआई खाता धारकों के लिए)/NEFT (For Non SBI Account Holders only)

- अपना संपर्क विवरण दर्ज करें और एक चालान उत्पन्न होगा जिसमें उस खाते का विवरण होगा जिसमें शुल्क जमा किया जाना है।/Enter your contact details and a challan shall be generated containing the Account details in which the fees is to be deposited.





v. एसबीआई शाखा भुगतान (केवल एसबीआई खाता धारकों के लिए)/SBI Branch Payment (For SBI Account Holders only)

- अपना संपर्क विवरण दर्ज करें और एक चालान जनरेट होगा जिसमें चालान नंबर होगा जिसका उपयोग केवल एसबीआई बैंक में शुल्क जमा करने के लिए किया जा सकता है।/Enter your contact details and a challan shall be generated containing the Challan number which can be used to deposit the fees at an SBI Bank only.



d. **रसीद डाउनलोड करें:** सफलतापूर्वक शुल्क जमा करने पर अस्पताल केवल पोर्टल से शुल्क जमा करने की रसीद डाउनलोड कर सकेंगे।/ **Download Receipt:** On successful submission of fees the hospitals shall be able to download the Fee Submission Receipt from the Portal only.



Click on view for the payments being shown as Success "S"

Click on "Pay Slip" to view and download your Fee Submission Receipt

VIII. अनुचित साधन/Unfair Means

1. यदि प्रशिक्षण/परीक्षा के दौरान, कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी में लिप्त पाया जाता है, तो उसे अनुचित साधनों का उपयोग करने वाला माना जाएगा।/If during the course of training / examination, a candidate is found indulging in any of the following, he/she shall be deemed to have used unfair means.
2. DNB/DrNB/FNB/Diploma प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला उम्मीदवार यदि स्वयं या प्रत्यायित संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर DNB/DrNB/FNB/Diploma प्रशिक्षण से खुद को अलग रखने की कोशिश करता है या DNB/DrNB/FNB/Diploma प्रशिक्षण के लिए गलत/जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।/Candidate undergoing DNB/DrNB/FNB/Diploma training if by himself or in connivance with the accredited Institute authorities tries to abstain himself from DNB/DrNB/FNB/Diploma Training or submits false/forged certificate towards DNB/DrNB/FNB/Diploma training.
3. अधूरी/गलत लॉग बुक, उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रशिक्षण कार्यक्रम, थीसिस कार्य आदि को बनाए रखना।/Maintaining incomplete/incorrect log book, attendance records, training schedule, thesis work etc.
4. उम्मीदवार अन्य DNB/DrNB/FNB/Diploma प्रशिक्षुओं या प्रत्यायित संस्थान के कर्मचारियों या प्रत्यायित संस्थान के संकाय के साथ दुर्व्यवहार या अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है।/Candidate misbehaving or using abusive language with other DNB/DrNB/FNB/Diploma trainees or or staff of accredited institute or with the faculty of the accredited institute.
5. उम्मीदवार जिसने प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि के दौरान DNB/DrNB/FNB/Diploma प्रवेश के लिए उपस्थित होने पर DNB/DrNB/FNB/Diploma पाठ्यक्रम (DNB/DrNB/FNB/Diploma पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद) से इस्तीफा दे दिया है।/Candidate who has resigned from DNB/DrNB/FNB/Diploma course (after joining the DNB/DrNB/FNB/Diploma course) if appears for DNB/DrNB/FNB/Diploma entrance during the scheduled duration of training.
6. यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा/काउंसिलिंग/प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत बयान देते हुए पाया जाता है या उसने गलत बयान देकर या झूठे दस्तावेज़ बनाकर एनबीईएमएस की किसी भी परीक्षा में प्रवेश पाने का प्रयास किया है या प्रवेश प्राप्त किया है।/If a candidate is found to have made a wrong statement in his/her online application form for admission to the examinations / counselling / training or has attempted to secure or has secured admission to any of the examinations of NBEMS by making a false statement or by production of a false document.
7. यदि किसी भी स्तर पर किसी उम्मीदवार ने प्रमाण पत्र या अंकों के विवरण या किसी सरकारी या गैर-सरकारी निकाय द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण पत्र या एनबीईएमएस द्वारा उसे जारी किए गए किसी अन्य दस्तावेज में किसी प्रविष्टि के साथ छेड़छाड़ की है।/If at any stage a candidate has tampered with any entry in the certificate or statement of marks or any certificate issued

by any governmental or non-governmental body or any other document that has been issued to him/her NBEMS.

8. उत्तर पुस्तिका में, एक उम्मीदवार को अपना नाम लिखने या अपना हस्ताक्षर (उत्तर पत्रक के आवरण को छोड़कर) करने या ऐसा कोई हस्ताक्षर या चिह्न लगाने की अनुमति नहीं है जिससे परीक्षक को उसकी पहचान का पता चल सके।/In the answer book, a candidate is not permitted to write his/her name or put his/her signature (except on the jacket of the answer sheet) or put any sign or mark which may disclose his/her identity to the examiner.
9. इंटरनेट वाले या बिना इंटरनेट वाले मोबाइल फोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग/पास होना (चाहे गैजेट वास्तव में उपयोग किए जाते हैं या नहीं।)/Use/possession of any kind of electronic gadgets including mobile phones with or without internet (whether the gadgets are actually used or not.)
10. परीक्षा के पेपर से सम्बद्ध विषय से संबंधित किसी भी नोटबुक या नोट या चिट या किसी अन्य अनधिकृत सामग्री को अपने पास रखना।/Having in possession of any note-book(s) or notes or chits or any other unauthorized material concerning the subject pertaining to the examination paper.
11. कपड़े, शरीर, डेस्क, टेबल या किसी भी निर्देश जैसे सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, ब्लॉटिंग पेपर और प्रश्न पत्र आदि के किसी भी हिस्से पर कुछ भी लिखा हुआ।/Anything written on any part of clothing, body, desk, table or any instruction such as set square, protractor, blotting paper and question paper etc.
12. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना।/Giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so.
13. परीक्षा अधीक्षक/प्रभारी कंप्यूटर प्रयोगशाला की अनुमति के बिना सीट परिवर्तन।/Change of seat without the permission of Examination Superintendent/ In charge Computer Laboratory.
14. उत्तर के अलावा किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना।/Writing questions or answers on any material other than the answer.
15. उत्तर के अलावा किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना।/Tearing of any page of the answers book or supplementary answer book etc.
16. परीक्षा केंद्र/कंप्यूटर प्रयोगशाला में परीक्षा के समय के दौरान कोई व्यक्ति, अन्य परीक्षा स्टाफ के साथ संपर्क करना या संवाद करना या ऐसा करने का प्रयास करना।/Contacting or communicating or trying to do so with any person, other the Examination Staff, during the examination time in the Examination centre/Computer Laboratory.
17. परीक्षा कक्ष/कंप्यूटर प्रयोगशाला से शौचालय या अन्य किसी स्थान पर जाते समय नोट्स, किताबें या अन्य कोई सामग्री या बाहरी व्यक्ति से परामर्श करना।/Consulting notes, books or any other material

or outside person while going out of the examination hall/Computer Laboratory to toilet or to any other place.

18. प्रतिरूपण/Impersonation.

19. कंप्यूटर आधारित परीक्षण प्लेटफॉर्म पर आयोजित एक ही परीक्षा के विभिन्न सत्रों में एक ही या अलग पहचान के साथ कई बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार।/Candidate appearing multiple times with same or different identity in different sessions of same examination conducted on Computer Based Testing Platform.

20. परीक्षा के संबंध में किसी अन्य अवांछनीय विधि या साधन का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।/Using or attempting to use any other undesirable method or means in connection with the examination.

21. उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर ले जाना। प्रश्न पत्र या उसके भाग की तस्करी; या उत्तर पुस्तिका/पूरक उत्तर पत्रक या उसके भाग की तस्करी करना।/Taking away the answer book out of the examination hall/room. Smuggling out Question paper or its part; or smuggling out answer book/supplementary answer sheet or part thereof.

22. उसके पास पाए गए किसी नोट या कागज या सामग्री को लेकर भागना या निगलना या नष्ट करना।/Running away or swallowing or destroying any note or paper or material found with him/her.

23. यदि उत्तरपुस्तिकाओं से पता चलता है कि किसी परीक्षार्थी ने नकल करके किसी अन्य परीक्षार्थी को सहायता दी है या प्राप्त की है।/If the answer books show that a candidate has received or given help to any other candidate through copying.

24. परीक्षाओं के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी को धमकी देना या किसी भी उम्मीदवार को धमकी देना।/Threatening any of the officials connected with the connected with the conduct of the examinations or threatening of any of the candidates.

25. हल के साथ प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका का आदान-प्रदान करते हुए या अनधिकृत सामग्री से नकल करते हुए पाया गया।/Found exchanging answer book or question paper with solution or copying from unauthorized material.

26. दूसरे उम्मीदवार के कंप्यूटर मॉनीटर स्क्रीन में झाँकना।/Peeping into the computer monitor screen of the other candidate.

27. अपनी पहचान का खुलासा करना या उस प्रयोजन के लिए उत्तर पुस्तिका में विशिष्ट चिह्न बनाना या परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका/अनुवर्ती पत्रक देने में विफल होना।/Disclosing his/her identity or making distinctive mark in the answer book for that purpose or fails to deliver his/her answer book/ continuation sheet before leaving the examination hall.

28. एनबीईएमएस या उसके प्रौद्योगिकी भागीदारों या उनकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की वेबसाइट को हैक करना या हैक करने का प्रयास करना या हस्तक्षेप करना।/Hacking or attempting to hack or causing interference with the website of NBEMS or its Technology Partner(s) or their Information technology systems.
29. एनबीईएमएस या प्रौद्योगिकी भागीदारों या कंप्यूटर प्रयोगशाला की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ छेड़छाड़।/Tampering with Information Technology systems of NBEMS or Technology partner(s) or Computer Laboratory.
30. कंप्यूटर प्रयोगशाला के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना।/Damaging the computer systems of computer Laboratory.
31. परीक्षार्थी, या किसी अधिकारी या एनबीईएमएस या उसके प्रौद्योगिकी भागीदार की परीक्षाओं से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने या दबाव डालने के लिए उम्मीदवार ने व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या तो बोर्ड में या प्रौद्योगिकी भागीदार के कार्यालय में प्रयास किया या करने का प्रयास किया। उनके संबंधित निवास, परीक्षाओं से संबंधित किसी भी मामले में।/Candidate found to have attempted or trying to attempt personally or through another person to influence or pressurise an examiner, or any officer or official connected with the examinations of the NBEMS or its technology partner, either at the Board or at the office of technology partner or their respective residence(s), in any matter concerned with the examinations.
32. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार परीक्षा के एक ही सत्र में कई बार उपस्थित हुआ है या एनबीईएमएस की एक ही या अलग-अलग परीक्षा में अलग-अलग नामों से उपस्थित हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित साधन का मामला दर्ज किया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।/If at any stage if it is found that the candidate has appeared multiple times in the same session of examination or has appeared in same or different examination of NBEMS with different names, unfair means case shall be registered against such candidate and dealt accordingly.
33. उम्मीदवार/किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य जो परीक्षा के संरक्षित, सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए हानिकारक है और इस संबंध में ईईसी का निर्णय अंतिम होगा।/Any act of candidate/any person which is detrimental to safe, secure and smooth conduct of examination and the decision of EEC in this regard shall be final.
34. परीक्षा के घंटों के दौरान परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी किसी अन्य उम्मीदवार से बात करते/झांकते हुए पाए जाते हैं।/Candidate is found talking/peeping to another candidate during the examination hours in the examination room.
35. परीक्षा केंद्र/कंप्यूटर लैब के अधीक्षक की बात मानने से इनकार करने वाले और किसी अन्य उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलने और/या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने वाले और/या परीक्षा हॉल में अन्यथा दुर्व्यवहार करने वाले उम्मीदवार।/Candidate who refuses to obey the Superintendent of Examination centre/ Computer Lab and changes his/her seat

with another candidate and/or creates disturbance of any kind during the examination and/or otherwise misbehaves in the examination hall.

36. एक उम्मीदवार अपने कपड़ों, शरीर, डेस्क या टेबल या उपकरण जैसे सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्केल आदि के किसी भी हिस्से पर लिखे नोट्स से नकल करता हुआ पाया जाता है या जो किसी भी नोट को छुपाने, विकृत करने, अवैध रूप से प्रस्तुत करने, निगलने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है। या परीक्षा हॉल के बाहर शौचालय या शौचालय जाते समय किसी व्यक्ति से बात करना या नोट्स या किताबों से परामर्श करना।/A candidate found copying from notes written on any part of his/her clothing, body, desk or table or instrument like set squares, protractors, scales etc. or who is found guilty of concealing, disfiguring, rendering illegible, swallowing or destroying any notes or paper with solution or talking to a person or consulting notes or books outside the Examination Hall, while going to the toilet or in the toilet.
37. किसी भी उम्मीदवार को उपरोक्त अनुचित साधनों/कदाचारों में से किसी एक या अधिक को अपनाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे आचार समिति द्वारा जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है, जो अगले 14 प्रयासों या 7 वर्षों तक और/या परीक्षा रद्द करने/निष्कासन से भिन्न हो सकता है। या प्रत्येक मामले पर विचार करने के बाद परीक्षा आचार समिति द्वारा तय की गई उम्मीदवारी को रद्द करना।/Any candidate found guilty of having adopted anyone or more of the above Unfair means/misconduct is liable to be penalized with a penalty by the Ethics Committee, which may vary from cancellation of the examination/ expulsion up to next 14 attempts or 7 yrs and/or cancellation of candidature as may be decided by Examinations Ethics Committee after considering each case.
38. उपरोक्त सूची विशुद्ध रूप से सांकेतिक है। यदि एनबीईएमएस के निर्णय में परीक्षा की पवित्रता को भंग करने के लिए उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवार/ उम्मीदवार के इरादे को जिम्मेदार ठहराया गया चूक या कमीशन का कोई कार्य अनुचित साधन के रूप में लिया जाएगा।/The above list is purely indicative. If any act of omission or commission attributed to the candidate/intent by the candidate to vitiate the sanctity of the examination in decision of NBEMS shall be taken up as unfair means.

IX. कम्प्यूनिवेशन प्रोटोकॉल/Communication Protocol

1. इस सूचना बुलेटिन और आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.natboard.edu.in में दी गई जानकारी पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करेगी।/Information in this information bulletin & National Board of Examinations in Medical Sciences website www.natboard.edu.in will guide you through the entire process and help answer most of your queries.
2. **हेल्पलाइन पोर्टल:** एफएटी के लिए पंजीकरण करने के बाद अस्पताल के लॉगिन के माध्यम से पोर्टल तक पहुँचा जा सकता है (आवेदन पत्र जमा करने / विफल लेनदेन की वापसी / भुगतान गेटवे से संबंधित मुद्दों आदि से संबंधित प्रश्नों के लिए)/**Helpline Portal:** Portal can be accessed through hospital login after registering for FAT (**For queries related to application form submission/ Refund of failed transactions/ Payment Gateway related issues etc**)
3. किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया एनबीईएमएस को इसके कम्प्यूनिवेशन वेब पोर्टल <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main> पर लिखें या info1@natboard.edu.in पर मेल करें।/For any other query, please write to NBEMS at its Communication Web portal <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main> or mail at info1@natboard.edu.in
4. एनबीईएमएस में पंजीकृत उम्मीदवार की ईमेल आईडी के माध्यम से भेजे जाने पर ही प्रश्नों पर कार्रवाई की जाएगी।/Queries shall only be processed if same are sent through email ID of candidate registered with NBEMS.
5. फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट के संबंध में आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को संबोधित प्रश्नों में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।/Following Information must be provided in queries addressed to National Board of Examination in Medical Sciences regarding Formative Assessment Test:

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रश्न/Query by Training Institute	प्रशिक्षु द्वारा प्रश्न/Query by Trainee
<ul style="list-style-type: none">• संस्थान का नाम और पता/ Institution Name & Address• प्रशिक्षुओं का विवरण जिसके लिए सूचना मांगी जा रही है/ Details of Trainees for which the information is being sought	<ul style="list-style-type: none">• नाम/Name• मोबाइल नंबर/Mobile Number• ई-मेल/Email ID• स्पेशलिटी/Specialty• अस्पताल/Hospital• पंजीकरण संख्या/परीक्षण आईडी Registration Number/ Testing ID• सत्र/Session

❖ **उपरोक्त जानकारी के बिना भेजे गए प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता है//Queries sent without aforesaid information may not be entertained.**

6. एक ही प्रश्न को कई बार न भेजें, क्योंकि इससे प्रतिक्रिया प्रक्रिया में देरी होगी।/Do not send the same query multiple times, as it will delay the response process.
7. स्वयं को प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधि, सहयोगी या अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।/Queries shall not be entertained from persons claiming themselves to be representative, associates or officiates of the trainees/ training institutions.

अनुलग्नक- I: स्पेशलिटी की सूची जिसमें एफएटी आयोजित किया जाएगा

Annexure- I: List of Specialties in which FAT shall be conducted

डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस पाठ्यक्रम/DNB Post MBBS Courses

1. एनेस्थिसियोलॉजी/Anaesthesiology
2. बायोकेमिस्ट्री/Biochemistry
3. कार्डियो वैस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी (सीधे 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)/Cardio Vascular & Thoracic Surgery (Direct 6 Years Course)
4. कम्युनिटी मेडिसिन/Community Medicine
5. डर्माटोलॉजी, वेनेरोलॉजी और लिप्रोसी/Dermatology, Venereology and Leprosy
6. एमर्जेंसी मेडिसिन/Emergency Medicine
7. फैमिली मेडिसिन/Family Medicine
8. फोरेंसिक मेडिसिन/Forensic Medicine
9. जनरल मेडिसिन/General Medicine
10. जनरल सर्जरी/General Surgery
11. अस्पताल प्रशासन/Hospital Administration
12. इम्यूनोहेमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन/Immunohematology and Blood Transfusion
13. माइक्रोबायोलॉजी/Microbiology
14. न्यूरो सर्जरी (सीधे 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)/Neuro Surgery (Direct 6 Years Course)
15. न्यूक्लीयर मेडिसिन/Nuclear Medicine
16. ओब्सटेट्रिक्स एण्ड गार्इनेकोलॉजी/Obstetrics and Gynaecology
17. ऑपथैल्मोलॉजी/Ophthalmology
18. ओर्थोपेडिक्स/Orthopaedics
19. ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)/Otorhinolaryngology (ENT)
20. पीडियाट्रिक्स सर्जरी (सीधे 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)/Paediatric Surgery (Direct 6 Years Course)
21. पेडियाट्रिक्स/Paediatrics
22. पालिएटिव मेडिसिन/Palliative Medicine
23. पैथोलॉजी/Pathology
24. फिज़िकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन/Physical Medicine and Rehabilitation
25. शरीर क्रिया विज्ञान/Physiology
26. प्लास्टिक एण्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी (सीधे 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)/Plastic & Reconstructive Surgery (Direct 6 Years Course)
27. साइकेट्री/Psychiatry
28. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी/Radiation Oncology
29. रेडियो डायग्नोसिस/Radio Diagnosis
30. रैसपिरेट्रि मेडिसिन/Respiratory Medicine

डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम/DNB Post Diploma Courses

1. एनेस्थिसियोलॉजी/Anaesthesiology
2. डर्माटोलॉजी, वेनेरोलॉजी और लिप्रोसी/Dermatology, Venereology and Leprosy
3. न्यूक्लीयर मेडिसिन/Nuclear Medicine
4. ओब्सटेट्रिक्स एण्ड गार्इनेकोलॉजी/Obstetrics and Gynaecology
5. ऑपथैल्मोलॉजी/Ophthalmology
6. ओर्थोपेडिक्स/Orthopaedics
7. ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)/Otorhinolaryngology (ENT)
8. पेडियाट्रिक्स/Paediatrics
9. पैथोलॉजी/Pathology
10. साइकेट्री/Psychiatry
11. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी/Radiation Oncology
12. रेडियो डायग्नोसिस/Radio Diagnosis
13. रैसपिरेट्रि मेडिसिन/Respiratory Medicine

DrNB सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम/DrNB Super Specialty Courses

1. कार्डिअक एनेस्थीसिया/Cardiac Anaesthesia
2. कार्डियो वैस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी/Cardio Vascular & Thoracic Surgery
3. कार्डियोलॉजी/Cardiology
4. क्लीनिकल हिमैटोलॉजी/Clinical Haematology
5. क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी/Clinical Immunology and Rheumatology
6. क्रिटिकल केयर मेडिसिन/Critical Care Medicine
7. इंडोक्रिनोलॉजी/Endocrinology
8. गार्इनेकोलॉजीकल ऑन्कोलॉजी/Gynaecological Oncology
9. इंटरवेशनल रेडिओलॉजी/Interventional Radiology
10. मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी/Medical Gastroenterology
11. मेडिकल जेनेटिक्स/Medical Genetics
12. मेडिकल ऑन्कोलॉजी/Medical Oncology
13. न्यूनैटॉलॉजी/Neonatology
14. नेफ्रोलॉजी/Nephrology
15. न्यूरो एनेस्थीसिया/Neuro Anaesthesia
16. न्यूरो सर्जरी/Neuro Surgery
17. न्यूरोलॉजी/Neurology
18. बाल तंत्रिकाविज्ञान / Paediatric Neurology
19. पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी/Paediatric Cardiology
20. पीडियाट्रिक्स क्रिटिकल केयर/Paediatric Critical Care
21. पीडियाट्रिक्स सर्जरी/Paediatric Surgery
22. प्लास्टिक एण्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी/Plastic & Reconstructive Surgery
23. सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी/Surgical Gastroenterology
24. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी/Surgical Oncology
25. थोरैसिक सर्जरी/Thoracic Surgery
26. यूरोलॉजी/Urology
27. वैस्कुलर सर्जरी/Vascular Surgery

एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम/NBEMS Diploma Courses

1. एनेस्थिसियोलॉजी/Anaesthesiology
2. फैमिली मेडिसिन/Family Medicine
3. ओब्स्टेटिक्स एण्ड गार्नेकोलॉजी/Obstetrics and Gynaecology
4. ऑपथैल्मोलॉजी/Ophthalmology
5. ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)/Otorhinolaryngology (ENT)
6. पेडियाट्रिक्स/Paediatrics
7. रेडियो डायग्नोसिस/Radio Diagnosis
8. ट्यूबरक्युलोसिस एंड चेस्ट डिसिस/Tuberculosis and Chest Diseases



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
मेडिकल एन्क्लेव, अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110029
**NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL
SCIENCES**
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
Medical Enclave, Ansari Nagar, New Delhi- 110029